

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर टी.आई./72/2019 तारीख रजु 25.06.2019

उनवान

अतरसिंह, अमरसिंह, रामसिंह पिसरान रामजीलाल जाति माली निवासी  
सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—सायलान 03

बनाम

किरोडी पुत्र पट्टू वगैरहा निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी जिला  
करौली

—गैरसायलान (5)

उपस्थिति:-

सायल की ओर से :- श्री शाहिद अली एडवोकेट  
गैरसायल की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर  
वकालतन एक प्रार्थना पत्र ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी की भूमि  
खसरनं 1028 की प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का पेश किया  
गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को  
जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान सायलान वकील के द्वारा  
निवेदन किया कि सायलान प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना  
पत्र नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 72/2019  
अतर सिंह बनाम किरोडी बगै० नोट प्रेस में खारिज किया जाता है।  
निर्णय आज दिनांक 27.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर  
लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर  
हो।

(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

